(ग) यदि हां, तो क्या सरकार डाक विभाग के पिन कोड नम्बरों की भांति ही एस०टी०डी कोड नम्बरों में भी एकरूपता लाने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां। पहले फरीदाबाद का एस०टी०डी० कोड 01182 तथा अहमदाबाद का एस०टी०डी० कोड 0272 था। अब नए कोड क्रमशः 0129 तथा 079 हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एस०टी०डी० काल के लिए डायल अंकों की कुल संख्या केवल 10 तक होनी चाहिए। जिन शहरों में उपभोक्ताओं का डायरेक्टरी नम्बर 7 अंकों में है उन शहरों के लिए एस०टी०डी० कोड के लिए अधिकतम 3 अंक होते हैं तथा जिन स्थानों के उपभोक्ताओं के डायरेक्टरी नम्बर 2 अंकों में होते हैं वहां एस०टी०डी० कोड आठ अंकों तक हो सकता है।

त्रिमुहानी घाट गांव में डाकघर खोला जाना

6380. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या संचार मंत्री 19 अप्रैल, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 3735 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जरिसों डाकघर से ग्राम त्रिमुहानी घाट लक्ष्मीपुर, कटवासा, महरजी, नन्दापट्टी, कोपीमुसहरी, भागवतीपुर, दुर्गोचक, लवाणी, पिपरा आदि ग्रामों को आज तक कोई सुविधा प्रदान की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये गांव आधा कि०मी० (1/2कि०मी०) के क्षेत्र में स्थित हैं और उनकी आबादी 15—20 हजार है; और

(ग) यदि हां, तो इन गांवों के लिए गांव त्रिमुहानी घाट में डाकघर खोलना किन कारणों से अव्यवहारिक है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जरिसों डाकघर से केवल लवाणी को बहुत पहले से डाक सुविधा प्रदान की जाती रही है, जो कि जरिसों गांव का एक पुरवा है। अन्य शेष गांवों/पुरवाओं को इस समय प्रदान की जा रही डाक सुविधा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिये)।

(ख) ये गांव/पुरवा 15 से 16 वर्ग कि०मी० क्षेत्र के अंतर्गत यहां-वहां स्थित हैं और इनकी कुल जनसंख्या, इनके राजस्व ग्रामों सहित, लगभग 15 से 20 हजार बैठती है।

(ग) डाकघर ऐसे ग्राम पंचायत ग्रामों में खोले जाते हैं जो जनसंख्या, निकटतम मौजूदा डाकघर से दूरी और आय संबंधी विभागीय मानदंडों को पूरा करते हों। जहां तक त्रिमुहानी घाट का संबंध है, ये सभी मानदंड पूरे नहीं होते। इसलिए, इस समय यहां डाकघर खोलने का औचित्य नहीं है।

विवरण

उन अन्य शेष गांवों/पुरवाओं का ब्यौरा जहां इस समय डाक सुविधा प्रदान की जा रही है

क्र० सं०	गांव/पुरवा का नाम	क्षेत्र को सेवा प्रदान करने वाले डाकघर का नाम
1.	त्रिमुहानी घाट (जरिसों का पुरवा)	बहेड़ा
2.	लक्ष्मीपुर (जरिसों का पुरवा)	बहेड़ा
3.	नन्दापट्टी	बहेड़ा
4.	कोपीमुशारी (जरिसों का पुरवा)	बहेड़ा
5.	कटवासा	सुजानपुर

क्र० सं०	गांव/पुरवा का नाम	क्षेत्र को सेवा प्रदान करने वाले डाकघर का नाम
6.	महाराजी (जरिसों का पुरवा)	बागौनी
7.	भगवतीपुर (हबीडिक्स का पुरवा)	सुजानपुर
8.	दुर्गाचक (जरिसों का पुरवा)	एसआर बिठौली
9.	पिपरा ध(दखरक्ष का पुरवा)	सुजानपुर

Setting up of Statutory Regulatory Authority

6381. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the working group on telecom reforms has recommended setting up of a statutory regulatory authority with a wide range of powers;

(b) if so, what are the details of the recommendations; and

(c) what is Government's reaction in respect thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir. Under the aegis of Industrial Credit & Investment Corporation of India (ICICI), a Telecom Working Group was constituted to undertake the study regarding necessary changes required in the telecom sector. This Group has recommended setting up of a statutory regulatory authority with quasi-judicial status.

(b) Recommendations of the Group, amongst other things, relate to the composition and structure of the body, its responsibilities, functions, duties and range of powers to be entrusted to this body. Important recommendations include vesting it with statutory character, reporting to Parliament through Minister In-charge of Tele-Communiations, protection of consumer/public interest through strict enforcement of service quality standards, enforcement of licence conditions by all operators/service providers, setting minimum technical standards, to ensure effective interconnection between operators, dispute adjudication and redressal, protection of national security interests, etc. The recommendations regarding the powers to be entrusted to the body include powers to seek information on all aspects of an operator/Service provider's activitees, seek information, advice and inputs from any source it deems necessary, investigate complaints through suitable methods of intervention, inspect facilities, book and records of operators service providers, levy fines and other penalties which are to be exercised giving due regard to aspects of commercial and other confidentialities.

(c) No decision has been taken by the Government in the matter.

Disruption of Telephone Services by Striking Staff

6382. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of occasions and the period in each case when the telecommunication staff in Delhi and Bombay resorted to strike since 1.1.93;

(b) whether the strike notices given to the management were legally valid, if not, the action taken against the striking staff;